न्यायालय के अनुसार दर्ज हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गई दूसरी इस्तदुआ हड़मानराम के स्थान पर हनुमानराम के संबंध में चाही गई है जिस हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट में हड़मानराम के स्थान हनुमानराम किये जाने की अभिशंषा के संबंध में उल्लेख किया है जिस कारण प्रार्थी की यह इस्तदुआ स्वीकार योग्य प्रतीत पाई गई है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि हड़मानराम एवं हनुमानराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम शिवनगर के खाता संख्या 238 के खसरा नम्बर 277/971 रकबा 0. 5423 हैक्टैयर एवं खेत खसरा नंबर 1112/272 रकबा 1.2788 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार नाम हड़मानराम के स्थान पर वास्तविक नाम हनुमानराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम शिवनगर तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 238 में वर्णित खसरा नम्बर 277/971 रकबा 0.5423 हैक्टैयर एवं खेत खसरा नंबर 1112/272 रकबा 1.2788 हैक्टेयर में दर्ज नाम हड़मानराम के स्थान पर हनुमानराम दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 28/01/25 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner